मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 09/05/2025

क्र. IPI/5/0044/2024/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स सिंटेक्स एडवांस प्लास्टिक्स लिमिटेड द्वारा ग्राम जमुनिया खेजड़ा, जिला रायसेन में रूपये 326.42 करोड (पुनरीक्षित निवेश रू. 421.70 करोड) के स्थाई पूंजी निवेश से प्लास्टिक एंड कम्पोजिट वॉटर टैंक, पाईप्स एण्ड फिटिंग्स निर्माण परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2402010001) पर निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाता है-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता**- उद्योग संवर्धन नीति 2025 अंतर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता शर्तो के अध्याधीन नियमानुसार प्रदान की जाये।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत**- परियोजना हेतु नवीन विद्युत संयोजन अथवा विद्यमान विद्युत संयोजन पर लिए गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षों हेतु रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट**- परियोजना हेतु नवीन विद्युत संयोजन अथवा विद्यमान विद्युत संयोजन पर लिए गये अतिरिक्त विद्युत भार पर देय विद्युत शुल्क से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु छूट प्रदान की जाये।

4. **विद्युत अधोसंरचना का विकास**- कंपनी द्वारा परियोजना हेतु विद्युत आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में 132 के.व्ही.ए. की लाईन लाने एवं 132/33 के.व्ही.ए. विद्युत सबस्टेशन अधोसंरचना की स्थापना हेतु किये गये व्यय की शत-प्रतिशत, एमपी पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अनुसार अनुमानित रू. 31.34 करोड़ तक की अधिकतम प्रतिपूर्ति की जाये। ग्राम जमुनिया-खेजड़ा, जिला रायसेन में अन्य औद्योगिक इकाईयों (जिन्हें भूमि आवंटित है अथवा भविष्य में किसी इकाई को भूमि आवंटित किए जाने की स्थिति में) द्वारा उक्त 132 के. व्ही. विद्युत सबस्टेशन से नियमानुसार विद्युत संयोजन प्राप्त किया जा सकेगा।

5. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2025 अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ पात्रता अनुसार शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

निरंतर ......

6. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

7. स्वीकृत समस्त सुविधाओं का लाभ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत निर्धारित समय-सीमा में एमपीआईडीसी को आवेदन प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगा।

8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

9/5/25

(राघवेन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0044/2024/ए-ग्यारह   भोपाल, दिनांक 09/05/2025

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, PHE विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला- उज्जैन ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिगनेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स सिंटेक्स एडवांस प्लास्टिक्स लिमिटेड Office 5-10-197/ABC, Flat No. G5, Reliance Krishna, Hill Fort, Vidhan Sabha Hyderabad, Khairatabad, Telungana-500004

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9/5/25

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग